संख्या 401 /XXIV-2/2014-02(03)/2014 टी0सी0-I

प्रेषक,

एस0 राजू
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 21, फरवरी, 2014

विषयः- जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत नवीन राजकीय बालिका इण्टर कालेजों की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय बालिका इण्टर कालेज भौंरी, रूड़की, हरिद्वार एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज गुलाब शाहपीर, रामपुर, रूड़की, हरिद्वार की स्थापना हेतु निम्नवत् अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान तथा संख्या में शासनादेश के दिनांक या नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक बशर्ते कि ये पद इससे पहले भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान (रु0 में)	सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रधानाचार्या	15600-39100 ग्रेड पे 7600	02	(प्रति विद्यालय 01)
2	प्रवक्ता	9300-34600 ग्रेड पे 4800	18	(प्रति विद्यालय 09)
3	सहायक अध्यापक एल0टी0	9300-34600 ग्रेड पे 4600	14	(प्रति विद्यालय 07)
4	प्रधान सहायक	~~5200-20200~~ 9300-34800 ग्रेड पे 4200	02	(प्रति विद्यालय 01)
5	कनिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड पे 2000	02	(प्रति विद्यालय 01)
6	दफ्तरी	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	—	02 (प्रति विद्यालय 01)

(2)

7	चतुर्थ श्रेणी	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	–	04 (प्रति विद्यालय 02)
		कुल योग	38 पद	

2. उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 से 5 में इंगित सृजित होने वाले पदों पर पदधारकों को शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

3. सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्तियां सुसंगत सेवा नियमों एवं निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय–09–नये राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना तथा क्रमोनयन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–226(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 20 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या 401 (1)/XXIV–2/2014–02(03)/2014 टी0सी0–I तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ~~महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।~~
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार, द्वारा निदेशक।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार, द्वारा निदेशक।
7. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, द्वारा निदेशक।
8. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार, द्वारा निदेशक।
9. प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा), उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
उप सचिव